महत्वपूर्ण एवं खास

बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 6 आरोपियों से 15 बाइक्स बरामद

धमतरी (आरएनएस)। शहर सहित आसपास के जिलों में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का धमतरी पुलिस ने खुलासा किया है। मगरलोड थाना पुलिस ने चोरी की 15 बाइकों के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।बरामद बाइक की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल धमतरी जिले में बाइक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। जिले के अलग-अलग थानों में बाइक चोरी के कई मामले दर्ज हैं। जिसको लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं जांच के दौरान मगरलोड पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के बाइक चला रहे दो युवकों को रोक कर पूछताछ की। वहीं पूछताछ में युवक गोलमोल जवाब देने लगे। ऐसे में पुलिस को संदेह होने पर दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर धमतरी सहित आसपास के जिलों से 15 बाइक चोरी की हैं। जिस पर पुलिस ने चोरी में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी बाइक को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदल देते थे। पुलिस का कहना है कि पकडे गए आरोपी नयन निषाद, लीलाराम निषाद, योकेश्वर निषाद, धरमचंद निषाद गरियाबंद जिला और मेघराज निषाद एंव नीलकंठ दास मगरलोड के रहने वाले हैं। फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

आधी कीमत में नए वाहन दिलाने के नाम पर करोड़ो की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फिफ्टी परसेंट में वाहन देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ड्रीम आर के ट्रेडिंग कंपनी के तीन एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी ने जिले में सैंकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। मिली जानकारी के अनुसार, ड्रीम आर के ट्रेडिंग कंपनी के एजेंट ने कंपनी ने जिले में सैंकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। वे आधे कीमत पर वाहन फाइनेंस करने का झांसा देते थे। कंपनी शहर के खैरबार में संचालित थी। आरोपियों का दावा था कि, वाहन का आधा पैसा देने पर कंपनी आधे पैसे वापस करेगी। झांसे में आकर गांव के कई लोग ठगी का शिकार हो गए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जीजा की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा, कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला

कबीरधाम (आरएनएस)। जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने दिया है। मामला कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुल्लीपुर में 12 फरवरी 2020 की है। मिली जानकारी अनुसार आरोपी सोनपाल चौहान पिता संतोष चौहान उम्र 24 निवासी ग्राम दुल्लीपुर ने अपने सगे जीजा मृतक अशोक चौहान को रुपए के लेन देन विवाद के चलते टंगिया से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने वारदात के एक दिन बाद यानी 13 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह तब से जेल में बंद है।

14 जिलों के सरकारी अस्पताल में टेस्टिंग लैब का इंतजार

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक 28 जिला अस्पतालों और 146 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक हमर लैब 2026 में ही खुल पाए हैं।

14 जिला और नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 14 जिलों के लाखों लोग अब भी प्राइवेट लैब पर निर्भर हैं. तीन मेडिकल कॉलेजों में हमर लैब खोलने का भी प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक सफलता केवल सरगुजा में ही मिल पाई है।

रायपुर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में हमर लैब खुलने का इंतजार 2018 से ही चल रहा है। कोरबा जिले के पाटडी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान और रायगढ़ जिले के सिविल अस्पताल खरसिया में एचएमआर लैब के लिए भवन तैयार हैं, लेकिन जांच उपकरण नहीं हैं। जिला अस्पताल की हमर लैब में 120 प्रकार की और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 प्रकार की जाँच सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्रदेश की पहली हमर लैब वर्ष 2018 में राजधानी के एक जिला अस्पताल में खोली गई थी। इसके बाद राज्य के सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब खोलने की योजना बनाई गई। देश की पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट) ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में स्थापित किया गया था। प्रदेश के इस मॉडल प्रोजेक्ट को पूरे देश में अपनाया गया है।

इसलिए हमर लैब जरूरी है

पीएचसी, सीएचसी से लेकर जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक बीमारी का इलाज लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर के बिना संभव नहीं है। मरीजों को जांच पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. हम्मर लैब में ब्लड ग्रुप के अलावा डायबिटीज, लिवर, किडनी, यूरिन, जापानी इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की 120 तरह की जांचें होती हैं।

हर साल तीन से चार लाख लोगों का सैंपल टेस्ट

रायपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस.के. भंडारी ने कहा कि हम्मर लैब में हर साल तीन से चार लाख लोगों के सैंपल की जांच होती है। वहीं, निजी प्रयोगशालाओं में इन परीक्षण सुविधाओं की कीमत 10,000 रुपये से अधिक है। लाखों मरीजों को मुफ्त सुविधा मिल रही है. कुछ परीक्षणों में बहुत कम राशि ली जाती है। मेडिकल कॉलेजों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी नमूने परीक्षण के लिए हम्मर लैब में आते हैं। हमर लैब बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दुर्ग, कांकेर, कोंडागांव, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, नारायणपुर और कबीरधाम जिला अस्पतालों में कार्यरत है। हमर लैब्स सीएचएसी में संचालित होती है: पलरी, कसडोल, पाटन, धमधा, मैनपुर, भानुप्रतापपुर, धरमजयगढ़, सिविल अस्पताल धरमजयगढ़, पुसौर।

स्वास्थ्य संचालनालय के उपसंचालक डॉ. डी.के.तुरे ने बताया कि जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशाला लैब खोले जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर भवनों का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हमर लैब से मरीजों को काफी फ यदा हो रहा है.

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में समर कैंप का आयोजन से बच्चों में छिपी प्रतिभा और हुनर में आ रहा निखार

रायपुर। आरएनएस

कहीं दीवारों पर तो कहीं किताबों पर नन्हे हाथों से ड्राइंग करते दिखाई दे रहे हैं बच्चे। कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है और कोई अभिनय। पत्तों से कलाकारी, सब्जियों से चित्रकारी, रंगीन चावल की कला, मिट्टी से खिलौना निर्माण, धागे से डिजाइन बनाना और मुखौटा निर्माण जैसी रोचक गतिविधियों में बच्चे डूबे हुए हैं। अलग-अलग भाव के साथ बच्चों के चेहरे पर विजय मुस्कान दिखाई दे रही है।

यह नजारा है छत्तीसगढ़ राज्य की स्कूलों का। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों में रचनात्मकता के लिए सकारात्मक व नवाचारी पहल की है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर व सरगुजा संभाग तक बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल-खेल में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सीखने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से बालक-पालक व शिक्षकों तक पहुंचाने का यह अनूठा तरीका है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन के साथ स्वस्थ वातावरण में उनकी छिपी हुई प्रतिभा को उभारना और उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। समर कैंप को सफल बनाने सचिव परदेसी द्वारा प्रतिदिन एक-एक कड़ी जोड़ी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ को जहां प्रदेश में स्वेच्छा से समर कैंप आयोजित करने कहा गया है। वहीं खेल संघो एवं अन्य संस्थाओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि समर कैंप बच्चों के एक साथ आने और मौज मस्ती करने का एक विशेष शिविर है। वे घर से दूर सुरक्षित वातावरण में नए साहसिक प्रयास करते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। इस प्रकार उनमें स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। वे नए दोस्त भी बनाते हैं और मेल जोड़ बढ़ाते हैं, जिससे उनके सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का विकास होता है।

राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप का आयोजन सुबह 7 से 9.30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। यह कैंप पूर्णत: स्वैच्छिक है। बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभी बच्चों में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने से उनका परिणाम भी बेहतर होता है।

स्कूल शिक्षा विभाग के कुशल मार्गदर्शन में लोक शिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा के संयोजन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्वरित क्रियान्वयन हेतु संभाग व जिले के अधिकारियों को प्रशासनिक व वित्तीय प्रशिक्षण भी प्रशासन अकादमी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

रिश्वत मामले में गिरफ्तार सहायक संचालक निलंबित

❐ **एन्टी करप्शन ब्यूरो ने किया है गिरफ्तार**

रायपुर। आरएनएस

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया जाकर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।

श्रमिकों को कार्य स्थल पर पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया जा रहा ग्लूकोस शरबत आदि

सारंगढ़ बिलाईगढ़

परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए नई पहल किया है। इस नई पहल अंतर्गत पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिले में चल रहे विकास कार्यों के कार्य स्थल पर मितानिनो एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए निःशुल्क ग्लूकोस, ओआरएस, शरबत इत्यादि मुहैया कराया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को भीषण गर्मी में कार्य करते हुए थोड़ी राहत मिल सके। यह कार्य विकासखंड बिलाईगढ़ के कई ग्राम पंचायतों में किया गया।

सीनियर से दुर्व्यवहार, दो पुलिस कर्मी सस्पेंड

दुर्ग-रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस कर्मियों पर एक के बाद एक निलंबन और लाइन अटैच की कार्रवाई जारी है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने महिला थाने की एक हवलदार और नंदिनी थाने के एक सिपाही को काम में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। वहीं जामुल थाने के दो सिपाहियों को अपने सीनियर से दुर्व्यवहार करने के चलते लाइन भेज दिया है। बीते सप्ताह एसपी शुक्ला ने करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई से पूरे महकमे में हडक़ंप मचा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक महिला थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक 455 कोमलता सोनी ने प्रार्थी राहुल पांडेय निवासी सेक्टर 05 भिलाई, जिला-दुर्ग को 14.05.2024 को फोन के माध्यम से उनकी पत्नी रूचिका दुबे के साथ चल रहे पारिवारिक विवाद मामले में धमकी दी। मानव अधिकार आयोग की ओर से आवेदक के खिलाफ स्नढ़ढक्र दर्ज किए जाने का भय दिखाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए संदिग्ध कदाचरण प्रदर्शित किया था, जिसकी शिकायत के बाद एसपी शुक्ला ने प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। महिला प्रधान आरक्षक 455 कोमलता सोनी को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नंदनी नगर थाने में पदस्थ आरक्षक कमल नारायण परघनिया को 14.05.2024 को थाना नंदनी नगर के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान थाने में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त एवं सामान्य लंबित शिकायतों को प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन आरक्षक के द्वारा लंबित शिकायत और निराकृत शिकायत की जानकारी प्रस्तुत नहीं की। साथ ही आरक्षक ने लंबित शिकायतों की नस्ती का संधारण और रख-रखाव नहीं किया, जिसके चलते उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। जामुल थाने में पदस्थ आरक्षक राकेश सिंह और आरक्षक चंद्र भूषण सिंह को भी एसपी शुक्ला ने पुलिस लाइन भेज दिया है। बताया जाता है कि आरक्षकों ने अपने सीनियर पुलिस कर्मी से दुव्र्यवहार किया था, जिसके चलते उन्हें लाइन भेजा गया। पिछले एक सप्ताह के अंदर दुर्ग जिले से लगभग आधा दर्जन से अधिक आरक्षक और प्रधान आरक्षक पर एसपी ने कार्रवाई की है।

सुने मकान में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार

रायपुर। आरएनएस

राजधानी रायपुर में सूने मकानों में चोरी की घटनाएं थमने का नहीं ले रहा है। आये दिन आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र से सामने आया है।

शातिर चोर ने सूने मकान को निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से दो लाख 50 हजार रुपये के जेवरात जब्त किया है।

पूरा मामला रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी दोमेन्द्र कुमार सिन्हा ने संजय नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके सूने मकान में किसी अज्ञात चोर ने सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। उसने रिपोर्ट में बताया कि दोमेन्द्र अपना ड्यूटी चलाया गया था, उसकी पत्नी बच्चे के साथ अपने मायका में चली गई थी। रात लगभग आठ बजे वापस आकर देखने पर जेवरात को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर फरार हो गया था।

उन्होंने बताया कि उपर के कमरे का आलमारी का लॉकर खुला हुआ था। साथ ही घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी के लॉकर का ताला तोडक़र उसमें रखे सोने चांदी के ज्वेलरी को किसी शातिर चोर ने चोरी कर फरार हो गया था। इस पर प्रार्थी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में रिपोर्ट लिखवाया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।

पुलिस ने अज्ञात चोर को पकडऩे के लिए मुखबिर लगाए। इस दौरान मुखबिर से घटना के संबंध में जानकारी मिली। उसने अज्ञात चोर की सूचना पुलिस को दी। इस पर उसके बताए हुए हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकार किया। इस पर टिकरापारा निवासी आरोपी विजय यादव (22साल) गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से दो लाख 50 हजार रुपये के सोने चांदी के जेवरात जब्त किया गया है।

सामान खरीदी करने पर रसीद जरूर मांगे उपभोक्ता

सारंगढ़ बिलाईगढ़

आज के समय में उपभोक्ताओं का जागरूक होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो किसी सेवा के बदले शुल्क भुगतान करते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को कोई भी समान खरीदने के बाद रसीद जरूर मांगना चाहिए। यह उपभोक्ता का पहला अधिकार है। आज क़े दौर में असली नकली का फर्क करना मुश्किल है। कई उपभोक्ता को गलत सामान दे दिए जाते हैं, जिससे उपभोक्ता को क्षति होती है। उपभोक्ता सेवा में त्रुटि होना गलत है। ऐसे में सेवा प्रदाता, निर्माता, विक्रेता के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए जिला आयोग में परिवाद दाखिल किया जा सकता है। आनलाइन हेल्पलाइन 1915 या टोल फ्री नंबर 1800114000 से सहायता ले सकते हैं। प्रत्येक जिले में उपभोक्ता प्रतितोष आयोग कार्य कर रहा है। पहले इसे जिला उपभोक्ता फोरम के नाम से जाना जाता था। इसमें बिजली, टेलीफोन, रेल, डाक सहित अन्य मामले में भी परिवाद दाखिल किया जा सकता है। जबसे लोग पैदा होते हैं उपभोक्ता हो जाते हैं। अभी डिजिटल युग में जरूरत है, गांव- गांव में जागरूकता शिविर आयोजित करने की। एक किसान से लेकर अधिकारी तक उपभोक्ता हैं। जानकारी के अभाव में लोग अपनी बात उचित फोरम पर नहीं रख पाते हैं। अब डिजिटल माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दाखिल कर सकते हैं।

शिकायत की प्रक्रिया- उपभोक्ता न्यायालय बहुत सरल और त्वरित न्याय प्रदान करते हैं। यह कोर्ट सिविल न्यायालय के केस प्रक्रिया से आसान हैं। इनमें वकील अथवा किसी अन्य तर्क देने वाले की कोई आवश्यकता नहीं है और उपभोक्ता स्वयं ही अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मामला दायर कर सकता है और अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

शिकायत दायर- उपभोक्ता द्वारा,किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा,जहां समान हित रखने वाले अनेक उपभोक्ता हों, एक अथवा अधिक उपभोक्ताओं द्वारा, और किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके कानूनी उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दायर की जा सकती है।

खरीदी की सीमा और शिकायत- यदि वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य और दावा की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, की राशि 20 लाख रूपये तक हो तो जिला आयोग में; यदि 20 लाख रूपये अधिक किन्तु 1 करोड़ रूपये से कम हो तो राज्य आयोग में, और 1 करोड़ रूपये से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दायर की जा सकती है।

शिकायत के आवेदन में क्या जिक्र करना चाहिए- शिकायत के आवेदन में शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता, प्रतिपक्ष अथवा पक्षों का नाम, विवरण और पता, शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कब और कहां उत्पन्न हुई, आरोपों, यदि कोई हों, के समर्थन में दस्तावेज, राहत जो शिकायतकर्ता प्राप्त करना चाहता उसे सामान्य अपने ज्ञान के मुताबिक लिखना चाहिए।

शिकायत शुल्क- जिला उपभोक्ता आयोग/राज्य आयोग/राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की जाने वाली प्रत्येक शिकायत के साथ, यथानिर्धारित शुल्क, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट अथवा रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में संलग्न होना चाहिए।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU